रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012021-224831
CG-DL-E-30012021-224831

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] **नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2021/माघ 9, 1942**
No. 45] **NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2021/MAGHA 9, 1942**

केंद्रीय सतर्कता आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2021

फा.सं. 016/व्हीजीएल/073 (अ).—केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: --

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सतर्कता आयोग (शिकायत निपटान संबंधी प्रक्रिया और जांच-प्रक्रिया) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं--(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) अभिप्रेत है;

(ख) "शाखा अधिकारी" से आयोग का उपसचिव और उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी और जिसे विशिष्ट कार्य समनुदेशित किया जाता है, अभिप्रेत है ;

(ग) "खंड" से अधिनियम का खंड अभिप्रेत है ;

(घ) "आयोग का अधिकारी" से अवर सचिव की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का आयोग का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) "अधिकारी" से केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या उसके अधीन निगमों में या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों में मुख्य सतर्कता अधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) "प्रक्रिया" से इस अधिनियम या नियम या विनियम के अधीन जारी कोई आदेश, सूचना, समन, परिप्रश्न, आदि अभिप्रेत है ;

(छ) "विनियम" से अधिनियम की धारा 21 के अधीन विरचित विनियम अभिप्रेत है ;

(ज) "नियम" से अधिनियम की धारा 20 के अधीन विरचित नियम अभिप्रेत है ;

(झ) "अनुसूची" से विनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ; और

(ञ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. शिकायत के निपटान संबंधी प्रक्रिया–(1) भ्रष्टाचार का अभिकथन करने वाली कोई भी शिकायत लिखित रूप में आयोग को दाखिल की जा सकती है या पदाभिहित पोर्टल, अर्थात् http://portal.cvc.gov.in पर आनलाइन या इसकी शिकायत निपटान नीति में समय-समय पर आयोग द्वारा यथा अधिकथित रीति में दाखिल की जा सकती है ।

(2) विनिर्दिष्ट ढंग में आयोग द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों को रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उन्हें शाखा अधिकारी द्वारा एक संख्या समनुदेशित की जाएगी, उनकी संवीक्षा और जांच की जाएगी तथा इस संबंध में समय-समय पर आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी :

परंतु शिकायत को, शिकायतकर्ता से पुष्टि, शाखा अधिकारी द्वारा संवीक्षा और परीक्षा के पश्चात्, यदि जांच या अन्वेषण के संचालन के लिए समुचित समझा जाए, विचार और आदेश के लिए आयोग के समक्ष रखा जाएगा :

परंतु यह और कि आयोग, शिकायतकर्ता से ऐसी पुष्टि या अतिरिक्त जानकारी या शपथपत्र की मांग कर सकेगा, जो शिकायत में अगली कार्रवाई का विनिश्चय करने से पूर्व आवश्यक समझी जाए ।

(3) आयोग, शिकायत पर विचार किए जाने पर, जांच या अन्वेषण के संचालन या इसे खारिज करने के लिए अपने विवेकानुसार आदेश पारित कर सकेगा ।

(4) जहां आयोग, किसी शिकायत में जांच या अन्वेषण संचालित करने का विनिश्चय करता है, वहां शाखा अधिकारी संबद्ध प्राधिकारी से, उन्हें युक्तियुक्त समय देने के पश्चात्, रिपोर्ट मांगेगा ।

(5) संबंधित प्राधिकारी से शिकायत प्राप्त होने के संबंध में रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर, शाखा अधिकारी उसकी परीक्षा करेगा और उसे विचार करने के लिए तथा अगले निदेशों के लिए आयोग के समक्ष रखेगा ।

(6) आयोग के निदेश और उसकी सलाह शाखा अधिकारी द्वारा संबंधित प्राधिकारी को संसूचित की जाएगी ।

(7) आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रकार की शिकायत तब ग्रहण नहीं की जाएगी और उसे ऐसी आवश्यक कार्रवाई के लिए, जो ठीक समझी जाए, संक्षिप्त: तब खारिज या फाइल कर दिया जाएगा या संबंधित प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) जब अभिकथन ऐसी प्रशासनिक प्रकृति के हैं, जो स्थानान्तरण, तैनाती, भर्ती, निलंबन या यात्रा भत्ते से संबंधित है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के उपबंधों के अधीन अपराधों का अभिकथित किए जाने से संबंधित सतर्कता की दृष्टि का अंतवर्लन न हो ;

(ii) जिन्हें बहु प्राधिकारियों को प्रेषित या पृष्ठांकित किया गया है ;

(iii) जिन्हें आयोग को सीधे ही प्रेषित नहीं किया गया है ;

(iv) जो अनाम या छद्म नाम है ;

(v) जो अस्पष्ट, तुच्छ या विनिर्दिष्ट अंतर्वस्तु या प्रकृति के नहीं है ;

(vi) जिनमें ऐसे विषय अंतर्विष्ट है, जो किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष न्यायाधीन है ;

(vii) जो प्राइवेट व्यक्तियों, राज्य सरकार के पदधारियों, संसद् सदस्यों या राज्य विधान मंडल सदस्यों, अन्य निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, न्यायपालिका के सदस्यों या प्राइवेट संगठनों के पदधारियों के विरुद्ध है ;

(viii) जो अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन तथा तदधीन जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट लोक सेवकों के प्रवर्ग के विरुद्ध नहीं है ; और

(ix) जो अपठनीय है ।

(8) आयोग को दाखिल शिकायतों के लिए कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी ।

(9) कोई शिकायत, उस पर शीघ्र कार्यवाही को सुकर बनाने के लिए, अधिमानतः अंग्रेजी या हिंदी भाषा में टंकित या लिखित रूप में दाखिल की जानी चाहिए ।

(10) आयोग, आरंभ में ही ऐसी शिकायत को खारिज कर सकेगा, जो विहित मानदंड को पूरा नहीं करती है।

4. जांच प्रक्रिया--आयोग, धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट जांच के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसी प्रक्रिया का पालन करेगा, अर्थात् :--

(i) आयोग, आयोग के अधिकारी को या किसी अधिकारी को कमीशन निकालकर प्राधिकृत करके जांच कर सकेगा या जांच करवा सकेगा :

परंतु इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी साधारणतया उसी मंत्रालय या विभाग या संगठन का होगा, जिससे जांच की विषयवस्तु संबंधित है ।

(ii) आयोग, किसी जांच को करते समय, अपने आदेशों को अधिप्रमाणित कर सकेगा या आयोग के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित करवा सकेगा और ऐसी जांच के लिए अपेक्षित आदेशिकाओं में से कोई आदेशिका, जो अनुसूची में अधिकथित की जाए, जारी कर सकेगा या जारी करवा सकेगा ;

(iii) आयोग का अधिकारी या खंड (i) में निर्दिष्ट अधिकारी, जांच करते समय, अनुसूची में यथा अभिकथित आदेशिकाओं में से कोई आदेशिका जारी कर सकेगा ;

(iv) खंड (ii) और खंड (iii) में निर्दिष्ट आदेशिकाओं को अनुसूची में यथा अधिकथित रूपविधानों में जारी किया जा सकेगा या उनका उपयोग किया जा सकेगा ;

(v) साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने और दस्तावेजों के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, किसी भी ऐसे न्यायालय, जो जांच के अधीन विषय में अधिकारिता रखता है, द्वारा की जा सकेगी ;

(vi) आयोग के किसी अधिकारी या खंड (i) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जांच साधारणतया तीस दिन की अवधि के भीतर पूरी की जा सकेगी, जिसे आयोग के पूर्व अनुमोदन से एक बार में साठ दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाया जा सकता है ;

(vii) आयोग का अधिकारी या खंड (i) में निर्दिष्ट अधिकारी, आयोग को ऐसे प्ररूप में, जो समय-समय पर आयोग द्वारा अधिकथित किया जाए, जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

अनुसूची

[विनियम 4 का खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv) देखें]

जांच में उपयोग के लिए आदेशिकाओं के मानक रूपविधान

1. साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन

सेवा में [नाम, वर्णन और निवास का स्थान]

(नाम)

[केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(घ) के साथ पठित धारा 11 के अधीन जांच]

उपरोक्त जांच में [साक्षी का नाम और पता] का साक्ष्य अपेक्षित है ;

और, [किसी अन्य स्थान, आदि पर साक्षी की परीक्षा के कारण बताएं];

और, आपको साक्ष्य, जिसके अंतर्गत ऐसे साक्षी [साक्षी का नाम] के कथनों का अभिलेखन भी है, लेने के प्रयोजन के लिए कमीश्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने की आदेशिका आपके आवेदन पर अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा जारी की जाएगी ।

.... रुपए की राशि, जो उपरोक्त मामले में आपकी फीस है, साक्ष्य की प्राप्ति पर संदत्त की जाएगी ।

यह आज, तारीख..........................., 20......, को मेरे हस्ताक्षर से और मुद्रा लगाकर दी गई है ।

[अधिप्रमाणन अधिकारी का नाम और पदनाम]

कृते केंद्रीय सतर्कता आयोग

2. दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन

सेवा में [नाम, वर्णन और निवास का स्थान]

(नाम)

[केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(घ) के साथ पठित धारा 11 के अधीन जांच]

चूंकि जांच के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक हो गया है कि निम्नलिखित दस्तावेजों (दस्तावेजों के ब्यौरे लिखें) की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जाए । आपको इस प्रयोजन के लिए कमीश्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है और आपसे यह और अनुरोध किया जाता है कि आप लिखित में ऐसी परीक्षा, जैसे ही वह पूरी हो, का विवरण दें ।

आपके समक्ष किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए या ऐसे किन्हीं दस्तावेजों को पेश करने के लिए, जिनकी आप परीक्षा या निरीक्षण करने की वांछा करे, आदेशिका आपके आवेदन पर अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा जारी की जाएगी ।

.... रुपए की राशि, जो उपरोक्त जांच में आपकी फीस है, साक्ष्य की वापसी पर संदत्त की जाएगी ।

यह आज, तारीख..........................., 20...... को मेरे हस्ताक्षर से और मुद्रा लगाकर दी गई है ।

[अधिप्रमाणन अधिकारी का नाम और पदनाम]

कृते केंद्रीय सतर्कता आयोग

3. हाजिरी के लिए समन

सेवा में [नाम, वर्णन और निवास का स्थान]

(नाम)

[केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(घ) के साथ पठित धारा 11 के अधीन जांच]

आपको समन किया जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि आप उपरोक्त जांच में साक्ष्य देने के लिए नीचे उल्लिखित तारीख को और समय पर आयोग के समक्ष हाजिर हों । अत:, आप पर इस समन की तामील, शिकायत की प्रति/अभिकथनों के सार के साथ की जाती है ।

जांच का स्थान :

तारीख और समय :

कमीश्नर/जांच अधिकारी/अधिप्रमाणन अधिकारी
का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

तामील की वापसी

समन और शिकायत/अभिकथनों के सार की तामील .... (तारीख) को मेरे .... (तामीलकर्ता का नाम) द्वारा की गई थी। उचित रूप से जांच करें :

- .... पर व्यक्तिगत रूप से तामील किया गया।
- .... रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील किया गया।
- प्रेषिती के निवास गृह पर या प्रायिक आवास स्थान पर, उसमें तब निवास कर रहे उपयुक्त आयु और वर्णन वाले व्यक्ति के पास उसकी प्रतियां छोड़ दी गई हैं। उस व्यक्ति का नाम, जिसके पास समन और शिकायत छोड़ दी गई हैं :
- अनिष्पादित रूप से लौटाया गया।

4. व्यक्तिगत रूप से साक्षी की परीक्षा और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन

सेवा में [नाम, वर्णन और निवास का स्थान]

(नाम)

[केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(घ) के साथ पठित धारा 11 के अधीन जांच]

चूंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा .... (संक्षिप्त में वर्णन) .... के अभिकथनों में जांच की जा रही है।

और, अधोहस्ताक्षरी को साक्षी [नाम और पता लिखें] और साक्षी के कब्जे में निम्नलिखित दस्तावेज [दस्तावेजों का नाम बताएं] की परीक्षा के लिए कमीश्नर नियुक्त किया गया है।

और, अधोहस्ताक्षरी आपकी व्यक्तिगत रूप से परीक्षा करना और दस्तावेजों की परीक्षा करना आवश्यक समझता है।

और, आपको इस प्रयोजन के लिए तारीख ...., 20........ को .... बजे .... (स्थान) पर व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर होने के लिए समन किया जाता है।

कमीश्नर का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

तामील की वापसी

समन की तामील .... (तारीख) को मेरे .... (तामीलकर्ता का नाम) द्वारा की गई थी। उचित रूप से जांच करें :

- .... पर व्यक्तिगत रूप से तामील किया गया।
- .... रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील किया गया।
- प्रेषिती के निवास गृह पर या प्रायिक आवास स्थान पर, उसमें तब निवास कर रहे उपयुक्त आयु और वर्णन वाले व्यक्ति के पास उसकी प्रतियां छोड़ दी गई हैं। उस व्यक्ति का नाम, जिसके पास समन और शिकायत छोड़ दी गई हैं :
- अनिष्पादित रूप से लौटाया गया।

5. उत्तर के लिए समन

सेवा में [नाम, वर्णन और निवास का स्थान]

(नाम)

[केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(घ) के साथ पठित धारा 11 के अधीन जांच]

आपको समन किया जाता है और उस शिकायत, जिसे आप पर तामील किया गया है, इस समन की आप पर तामील के पश्चात् .... दिन के भीतर, जिसमें तामील का दिन सम्मिलित नहीं है, का उत्तर देने के लिए शिकायतकर्ता (नाम

और पता) पर तामील करने की अपेक्षा की जाती है । यदि आप ऐसा नहीं करते है तो शिकायत में अधिकथित अभिकथनों के लिए आपके विरुद्ध व्यतिक्रम द्वारा विनिश्चय किया जाएगा । आप, इस तामील के पश्चात् युक्तियुक्त समय की अवधि के भीतर इस जांच के लिपिक के पास अपना उत्तर अवश्य फाइल करे ।

कमीश्नर/जांच अधिकारी/अधिप्रमाणन अधिकारी
का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

तामील की वापसी

समन की तामील .... (तारीख) को मेरे .... (तामीलकर्ता का नाम) द्वारा की गई थी । उचित रूप से जांच करें :

- .... पर व्यक्तिगत रूप से तामील किया गया ।
- .... रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील किया गया ।
- प्रेषिती के निवास गृह पर या प्रायिक आवास स्थान पर, उसमें तब निवास कर रहे उपयुक्त आयु और वर्णन वाले व्यक्ति के पास उसकी प्रतियां छोड़ दी गई हैं । उस व्यक्ति का नाम, जिसके पास समन और शिकायत छोड़ दी गई हैं :
- अनिष्पादित रूप से लौटाया गया ।

6. दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने के लिए समन

सेवा में [नाम, वर्णन और निवास का स्थान]

(नाम)

[केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(घ) के साथ पठित धारा 11 के अधीन जांच]

चूंकि, कमीशन का, शिकायत की परीक्षा करने पर/श्री .... (शिकायतकर्ता/मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम) द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाने पर कि आपके नियंत्रणाधीन/अभिरक्षा में निम्नलिखित दस्तावेजों/अभिलेखों को, उपरोक्त जांच के प्रयोजन के लिए पेश किया जाना आवश्यक है ।

....

और, आपको निदेश दिया जाता है कि उक्त दस्तावेजों को मूल रूप में या उसकी सम्यकत: अधिप्रमाणित प्रतियां, तारीख ...., 20.... को या उससे पहले प्रस्तुत करें/प्रस्तुत करवाएं या अग्रेषित करें ।

(अपेक्षित दस्तावेजों का वर्णन दर्ज करें)

......................., 20.... को मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा से जारी किया गया ।

[अधिप्रमाणन अधिकारी का नाम और पदनाम]

कृते केंद्रीय सतर्कता आयोग

तामील की वापसी

समन की तामील .... (तारीख) को मेरे .... (तामीलकर्ता का नाम) द्वारा की गई थी । उचित रूप से जांच करें :

- .... पर व्यक्तिगत रूप से तामील किया गया ।
- .... रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील किया गया ।
- प्रेषिती के निवास गृह पर या प्रायिक आवास स्थान पर, उसमें तब निवास कर रहे उपयुक्त आयु और वर्णन वाले व्यक्ति के पास उसकी प्रतियां छोड़ दी गई हैं । उस व्यक्ति का नाम, जिसके पास समन और शिकायत छोड़ दी गई हैं :
- अनिष्पादित रूप से लौटाया गया ।

7. साक्षी द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

(नाम)

[केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(घ) के साथ पठित धारा 11 के अधीन जांच]

"मैं, ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो मैं कथन करूंगा, वह सत्य, पूर्णत: सत्य होगा और सत्य के सिवाए कुछ नहीं होगा।"

साक्षी का नाम, पता और हस्ताक्षर

8. दुभाषिया द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

(नाम)

[केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(घ) के साथ पठित धारा 11 के अधीन जांच]

"मैं, ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं साक्षी से पूछे गए सभी प्रश्नों और उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य का सच्ची श्रद्धा से उनका निर्वचन करूंगा और उन्हें स्पष्ट करूंगा तथा अनुवाद के लिए मुझे दिए गए सभी दस्तावेजों का सही और ठीक-ठीक अनुवाद करूंगा।"

दुभाषिया का नाम, पता और हस्ताक्षर

9. शपथपत्र का प्ररूप

(नाम)

[केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(घ) के साथ पठित धारा 11 के अधीन जांच]

शपथपत्र

मैं, ..., आयु .... वर्ष, सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... (प्रत्यर्थी का नाम और व्यवसाय), निवासी .... (पूरा पता) ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और निम्नानुसार कथन करता हूं :

पैरा 1 ....

पैरा 2 ....

पैरा 3 ....

पैरा सं. .... की अंतर्वस्तु की मुझे पूर्ण जानकारी है और पैरा सं. ....की अंतर्वस्तु मेरे द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर है, जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि वह सत्य है (जहां कहीं संभव हो, वहां जानकारी के स्रोत और विश्वास के लिए आधारों, यदि कोई हों, का उल्लेख करें) ।

....

....

प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर

स्पष्ट अक्षरों में नाम

स्थान :

तारीख :

प्रष्ठ सं. ..... पर संशोधनों की संख्या

मेरे समक्ष .... द्वारा पहचान की गई।

* .... मेरे समक्ष, आज तारीख ...., 20... को शपथ ली गई/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया ।

हस्ताक्षर

[अनुप्रमाणन प्राधिकारी का मुद्रा सहित नाम और पदनाम]

*जहां आवश्यक हो, वहां प्ररूप सं. में पृष्ठांकन लिखे ।

सुधीर कुमार, अपर सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./479/2020-21]

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2021

F. No. 016/VGL/073 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003), the Central Vigilance Commission, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Central Vigilance Commission (Procedure for Dealing with Complaints and Procedure of Inquiry) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003);

(b) "Branch Officer" means an officer of the Commission of the level of Deputy Secretary and above and assigned a particular work;

(c) "clause" means clause of the Act;

(d) "Officer of the Commission" means any officer of the Commission not below the rank Under Secretary;

(e) "Officer" means a Chief Vigilance Officer in the Ministry or Department of the Central Government or in corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and local authorities owned or controlled by the Central Government;

(f) "process" means any order, notice, summons, interrogatory, etcetera issued under the Act or rule or regulation;

(g) "regulations" means regulations framed under section 21 of the Act;

(h) "rule" means the rules framed under section 20 of the Act;

(i) "Schedule" means the Schedule annexed to the regulation; and

(j) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act, unless the context otherwise means, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Procedure for dealing with complaint. — (1) Any complaint alleging corruption can be lodged with the Commission in written form or lodged online at the designated portal namely, http://portal.cvc.in or in the manner as laid down by the Commission from time to time in its Complaint Handling Policy.

(2) All complaints received by the Commission in the specified mode shall be registered and assigned a number, scrutinised and examined by the Branch Officer and action be taken thereon in accordance with the directions issued by the Commission from time to time in this regard:

Provided that a complaint, after confirmation from the complainant, scrutiny and examination by the Branch Officer, if deemed appropriate for conduct of inquiry or investigation, shall be placed before the Commission for consideration and order:

Provided further that the Commission may seek confirmation or further information or affidavit from the complainant as may be considered necessary before deciding the further course of action in a complaint.

(3) On consideration of a complaint, the Commission may in its discretion pass orders for conduct of inquiry or investigation or dismiss it.

(4) Where the Commission decides to conduct inquiry or investigation into a complaint, the Branch Officer shall call for the report from the concerned authority after giving them a reasonable time.

(5) On receipt of the report on the complaint from the concerned authority, the Branch Officer shall examine the same and place before the Commission for consideration and further directions.

(6) The directions and advice of the Commission shall be communicated to the concerned authority by the Branch Officer.

(7) A complaint of the following nature shall not be entertained by the Commission and shall be summarily dismissed or filed or forwarded to the concerned authority for necessary action as deemed fit, namely: -

- (i) where allegations are administrative in nature such as those relating to transfer, posting, recruitment, suspension or travelling allowance. unless there is involvement of vigilance angle therein relating to alleged commission of offences under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988);
- (ii) which are addressed or endorsed to multiple authorities;
- (iii) which are not directly addressed to the Commission;
- (iv) which are anonymous or pseudonymous;
- (v) which are vague, frivolous or not specific in content or nature;
- (vi) contain matters which are sub-judice before any competent Court or Tribunal or Authority;
- (vii) which are against private persons, State Government officials, Members of Parliament or State Legislature, elected representatives of other bodies, members of judiciary or officials of private organisations;
- (viii) which are not against the category of public servants as specified under sub section (2) of section 8 of the Act and the notification issued thereunder; and
- (ix) which are illegible.

(8) No fee shall be chargeable for lodging complaints with the Commission.

(9) A complaint should preferably be lodged in typed or written form in English or Hindi language for facilitating early action thereon.

(10) The Commission may dismiss a complaint in-limine which does not meet the prescribed criteria.

4. Procedure of inquiry. — For the purpose of inquiry referred to in clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 8, the Commission may follow any of the following procedure, namely: -

- (i) the Commission may inquire or cause the inquiry to be made by authorising, through issuing a commission to, an Officer of the Commission or to an Officer:

  Provided that the Officer so authorised shall ordinarily belong to the same Ministry or Department or Organisation to which the subject matter of inquiry relates;
- (ii) the Commission while conducting an inquiry, may authenticate or cause to be authenticated by an Officer of the Commission its orders and issue or cause to be issued any of the processes required for such inquiry as laid down in the Schedule;
- (iii) the Officer of the Commission or the Officer referred to in clause (i) while conducting the inquiry may issue any of the processes as laid down in the Schedule;
- (iv) the processes referred to in clause (ii) and (iii) may be issued or used in the inquiry in the formats as laid down in the Schedule;
- (v) a process to compel the appearance of witness and discovery and production of documents may be made by any Court of law having jurisdiction in the matter under inquiry;
- (vi) the inquiry by an Officer of the Commission or an Officer referred to in clause (i) shall ordinarily be completed within a period of thirty days, extendable upto a further period not exceeding sixty days at a time, with the previous approval of the Commission;
- (vii) the Officer of the Commission or an Officer referred to in clause (i) shall submit a report of the inquiry to the Commission in such form as may be laid down by the Commission from time to time.

SCHEDULE

[See clause (ii), (iii) and (iv) of Regulation 4]

STANDARD FORMATS OF PROCESSES FOR USE IN INQUIRY

1.Commission for examination of witness

To [Name, description and place of residence.]

(Title)

[Inquiry under section 11read with section 8(1)(d) of Central Vigilance Commission Act, 2003]

WHEREAS the evidence of [name and address of witness] is required in the above inquiry;

AND WHEREAS [give reasons for examination of witness at another place, etc.];

AND THEREFORE you are appointed as Commissioner for the purpose of taking the evidence including recording of statements of such witness [name of witness].

Process to compel the attendance of the witness will be issued by any court having jurisdiction on your application.

A sum of Rs….. being your fee in the above, shall be paid on return of the evidence.

Given under my hand and seal, this day of 20...

[Name and Designation of authenticating officer]

for Central Vigilance Commission

2. Commission for examination of documents

To [Name, description and place of residence.]

(Title)

[Inquiry under section 11read with section 8(1)(d) of Central Vigilance Commission Act, 2003]

WHEREAS it is deemed requisite, for the purpose of this inquiry, that a commission for examination of the following documents [write detail of documents] should be issued. You are, hereby, appointed Commissioner for that purpose and you are further requested to make return of such examination in writing as soon as it may be completed.

Process to compel the attendance before you of any witnesses, or for the production of any documents whom or which you may desire to examine or inspect, will be issued by any court having jurisdiction on your application.

A sum of Rs….. being your fee in the above, shall be paid on return of the examination.

Given under my hand and seal, this day of 20..

[Name and Designation of authenticating officer]

for Central Vigilance Commission

3. Summons for appearance

To [Name, description and place of residence.]

(Title)

[Inquiry under section 11read with section 8(1)(d) of Central Vigilance Commission Act, 2003]

YOU ARE HEREBY SUMMONED and required to appear before the Commission/ on the date and time mentioned below for giving evidence in the above inquiry. Therefore, this summons is herewith served upon you along with the copy of complaint/gist of allegations.

Place of inquiry:

Date and time:

Name Designation and Signature of Commissioner/Inquiry Officer/

authenticating officer

RETURN OF SERVICE

Service of the Summons and complaint/gist of allegations was made by me (NAME OF SERVER) on (DATE). Check appropriately:

• Served personally at:

• Served by Registered Post:

• Left copies thereof at the addressee's dwelling house or usual place of abode with a person of suitable age and description then residing therein. Name of person with whom the summons and complaint were left:

• Returned unexecuted

4. Summons for examination of witness in person and examination of documents

To [Name, description and place of residence.]

(Title)

[Inquiry under section 11read with section 8(1)(d) of Central Vigilance Commission Act, 2003]

WHEREAS an inquiry is being conducted by Central Vigilance Commission in exercise of powers conferred under clause (d) of sub-section (1) of Section 8 of Central Vigilance Commission Act, 2003 into the allegations of …………[description in brief] ………………………..

AND WHEREAS the undersigned has been appointed Commissioner for examination of witness [write name and address] and the following documents in possession of witness [give name of documents].

AND WHEREAS the undersigned deems it requisite to examine you in person and examine the documents.

AND THEREFORE you are hereby summoned to appear before the undersigned in person along with the said documents on the . . . . day of . . . . 20..... at . . . . at . . . ., for the purpose.

Name, Designation and Signature of Commissioner

RETURN OF SERVICE

Service of the Summons was made by me (NAME OF SERVER) on (DATE). Check appropriately:

• Served personally at:

• Served by Regd. Post:

• Left copies thereof at the addressee's dwelling house or usual place of abode with a person of suitable age and description then residing therein. Name of person with whom the summons and complaint were left:

• Returned unexecuted

5. Summons for reply

To [Name, description and place of residence.]

(Title)

[Inquiry under section 11read with section 8(1)(d) of Central Vigilance Commission Act, 2003]

YOU ARE HEREBY SUMMONED and required to serve upon COMPLAINANT (name and address) an answer to the complaint which is here with served upon you, within............days after service of this summons upon you, exclusive of the day of service. If you fail to do so, decision by default will be taken against you for the allegations laid in the complaint. You must also file your answer with the Clerk of this Inquiry within a reasonable period of time after service.

Name, Designation and Signature of Commissioner/Inquiry Officer/

authenticating officer

RETURN OF SERVICE

Service of the Summons and complaint/gist of allegations was made by me (NAME OF SERVER) on (DATE). Check appropriately:

• Served personally at

• Served by Regd. Post

• Left copies thereof at the addressee's dwelling house or usual place of abode with a person of suitable age and description then residing therein. Name of person with whom the summons and complaint were left:

• Returned unexecuted

6. Summons for discovery and production of documents

To [Name, description of public officer]

(Title)

[Inquiry under section 11read with section 8(1)(d) of Central Vigilance Commission Act, 2003]

WHEREAS the Commission on examination of the complaint/case / on consideration of the request made by Shri …………………..(Name of complainant/ Chief Vigilance Officer) having been satisfied that production of the following documents/records under your control/custody is necessary for the purpose of the above inquiry.

AND THEREFORE you are hereby directed to produce/cause production of the said documents/records before the Commission in original or forward duly authenticated copies thereof on or before the …………………day of…..20………

(Enter description of documents requisitioned)

Given under my hand and seal, this day of 20..

[Name and Designation of authenticating officer]

for Central Vigilance Commission

RETURN OF SERVICE

Service of the Summons was made by me (NAME OF SERVER) on (DATE). Check appropriately:

- Served personally at
- Served by Regd. Post
- Left copies thereof at the addressee's dwelling house or usual place of abode with a person of suitable age and description then residing therein. Name of person with whom the summons and complaint were left:
- Returned unexecuted

7. Form of oath or affirmation to witness

(Title)

[Inquiry under section 11read with section 8(1)(d) of Central Vigilance Commission Act, 2003]

"I do swear in the name of God and solemnly affirm that what I shall state shall be truth, the whole truth and nothing but the truth".

Name, Address and Signature of Witness

8. Form of oath or affirmation to interpreter

(Title)

[Inquiry under section 11read with section 8(1)(d) of Central Vigilance Commission Act, 2003]

"I do swear in the name of God and solemnly affirm that I will faithfully and truly interpret and explain all questions put to and evidence given by witness and translate correctly and accurately all documents given to me for translation."

Name, Address and Signature of Interpreter

9. Form of affidavit

(Title)

[Inquiry under section 11read with section 8(1)(d) of Central Vigilance Commission Act, 2003]

AFFIDAVIT

I, ……………………………aged…………………..years, son/daughter/wife of ………… ……………………..(name and occupation of the deponent)………………………………. residing at (Full address) …………………………………do hereby swear in the name of God/solemnly affirm and state as follows:

Para. 1 ……………………………………………….

Para. 2 ……………………………………………….

Para. 3 …………………………………………….

That the contents of Paragraph Numbers. ………………….are within my personal knowledge and contents of Paragraph Numbers……………are based on information received by me which I believe the same to be true (state the source of information wherever possible and the grounds for belief, if any).

…………………………..

…………………………..

Signature of the Deponent

Name in Block Letters

Place:

Date:

Number. of corrections on page numbers.

Identified by : Before me

*……….. Sworn/solemnly affirmed before me on this the …………………..day of …20………….

Signature

(Name and Designation of the Attesting Authority with Seal)

*To add endorsement in Form Number, when necessary

SUDHIR KUMAR, Addl. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./479/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.01.30 16:42:28 +05'30'